उत्तर प्रदेश शासन

**कार्मिक अनुभाग–2**

संख्या 20/4/2002/का–2/2014

लखनऊ, दिनांक : 29 जनवरी, 2014

अधिसूचना संख्या 20/4/2002/का–2/2014, दिनांक 29 जनवरी, 2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

10–गार्ड फाइल।

11–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न नियमावली को सरकारी असाधारण गजट, उत्तर प्रदेश के विधायी परिशिष्ट, भाग–4, खण्ड (क), (सामान्य परिनियम नियम) के अन्तर्गत प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा संलग्न नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित 2000 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

एस० पी० सिंह,

विशेष कार्याधिकारी।

क्रम.संख्या–31

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कंन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग-4, खण्ड (क)**

(सामान्य परिनियम नियम)

**लखनऊ, बुधवार, 29 जनवरी, 2014**

**माघ 9, 1935 शक सम्वत्**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 20/4-2002-क-2-2014

लखनऊ, 29 जनवरी, 2014

अधिसूचना

**प्रकीर्ण**

**सा०प०नि०–7**

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

### उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

| | स्तम्भ–1<br>**विद्यमान नियम** | | स्तम्भ–2<br>**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम** |
|---|---|---|---|
| **सीधी भर्ती की प्रक्रिया** | 5–(1) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों से भिन्न पदों | **सीधी भर्ती की प्रक्रिया** | 5–(1) शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों से भिन्न पदों |

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| पर सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जायेंगी और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ सम्बन्धित विभाग, जिसके लिए भर्ती की जानी है, के विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित की जायेंगी। रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जायेंगी :– | पर सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जायेंगी और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ सम्बन्धित विभाग, जिसके लिए भर्ती की जानी है, के विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित की जायेंगी। रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति में अधिसूचित की जायेंगी :– |
| (एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक प्रसार हो, विज्ञापन जारी करके; | (एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक प्रसार हो, विज्ञापन जारी करके; |
| (दो) कार्यालय के सूचना-पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोज़गार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके; और | (दो) कार्यालय के सूचना-पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापित करके; और |
| (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके। | (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके। |
| (2) चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र उपनियम (1) के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे। | (2) चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र उपनियम (1) के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे। |
| (3) चयन के लिए कुल प्राप्तांक एक सौ अंक के होंगे। अभ्यर्थियों के लिए श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :– | (3) चयन के लिए कुल एक सौ अंक होंगे। अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति में तैयार की जायेगी :– |
| (क) (1) ऐसे पद जिनके लिए केवल शैक्षिक योग्यता विहित हो, प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे:– | (क) चालीस अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जो नियुक्ति प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तर पर, विभागाध्यक्ष स्तर पर और जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी : |

| | शैक्षिक योग्यता | प्राप्त अंकों का प्रतिशत | अंक जो दिये जायेंगे |
|---|---|---|---|
| (एक) | इण्टर–मीडिएट | साठ प्रतिशत और इससे ऊपर | बीस अंक |
| | | पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम | पंद्रह अंक |
| | | तैंतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम | दस अंक |
| (दो) | स्नातक उपाधि | साठ प्रतिशत और इससे ऊपर | दस अंक |
| | | पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम | आठ अंक |
| | | तैंतीस प्रतिशत या इससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम | छः अंक |

परन्तु यह कि ऐसा पद, जिसके लिए कुछ शारीरिक मानकों को पद के लिए अनिवार्य अर्हता या भर्ती की एक रीति के रूप में विहित किया गया है, वहाँ पर लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थी से विहित शारीरिक परीक्षण को पूरा करने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं।

(ख)(एक) ऐसे पद जिनके लिए केवल शैक्षिक अर्हतायें विहित की गयी हैं, वहाँ प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगे :–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|

(2) ऐसे पद जिनके लिए शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता दोनों विहित हों, प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :–

| | शैक्षिक योग्यता | प्राप्त अंकों का प्रतिशत | अंक जो दिये जायेंगे |
|---|---|---|---|
| (एक) | पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता | साठ प्रतिशत और उससे ऊपर | दस अंक |
| | | पैंतालीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम | आठ अंक |
| | | तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम | छः अंक |
| (दो) | पद के लिए विहित न्यूनतम तकनीकी योग्यता | साठ प्रतिशत और उससे ऊपर | बीस अंक |
| | | पैंतालीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम | पंद्रह अंक |
| | | तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम | दस अंक |

परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों चयन के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए विचार किया जायेगा जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों।

(ख) छँटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा, जो अधिकतम पन्द्रह अंक होगा :–

(1) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए ... पाँच अंक

| | शैक्षिक अर्हता | प्राप्त अंकों का प्रतिशत | प्रदान किये जाने वाले अंक |
|---|---|---|---|
| (एक) | इंटर–मीडिएट | साठ प्रतिशत और इससे ऊपर | बीस अंक |
| | | पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम | पंद्रह अंक |
| | | तैंतीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम | दस अंक |
| (दो) | स्नातक उपाधि | साठ प्रतिशत और इससे ऊपर | दस अंक |
| | | पैंतालीस प्रतिशत या ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम | आठ अंक |
| | | तैंतीस प्रतिशत या इससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम | पांच अंक |

(दो) ऐसे पद जिनके लिए शैक्षिक अर्हता और तकनीकी अर्हता दोनों विहित हों, प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगे :–

| | शैक्षिक अर्हता | प्राप्त अंकों का प्रतिशत | अंक जो दिये जायेंगे |
|---|---|---|---|
| (एक) | पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता | साठ प्रतिशत और उससे ऊपर | दस अंक |
| | | पैंतालीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम | आठ अंक |
| | | तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम | छः अंक |
| (दो) | पद के लिए विहित न्यूनतम तकनीकी अर्हता | साठ प्रतिशत और उससे ऊपर | बीस अंक |
| | | पैंतालीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम | पंद्रह अंक |
| | | तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम | दस अंक |

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| (2) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए<br>... प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच अंक | |
| (ग) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो चयन के लिए परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पाँच अंक होगा :– | (ग) किसी खिलाड़ी को अधिकतम पाँच अंकों के अध्यधीन निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा :– |
| (एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — पाँच अंक | (एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — पाँच अंक |
| (दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — चार अंक | (दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — चार अंक |
| (तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो — तीन अंक | (तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो — तीन अंक |
| (चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो — दो अंक | (चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो — दो अंक |
| (घ) किसी ऐसे पद पर, जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के लिए विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के लिए विचार किया जायेगा, जिन्होंने, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा उपयुक्त समझी जाये। इस प्रयोजन के लिए नियम–4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक् रूप से तैयार की जायेगी। | (घ) किसी ऐसे पद पर, जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के लिए विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के लिए विचार किया जायेगा, जिन्होंने, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का पांच गुना होगी। टंकण परीक्षा कम्प्यूटर/ लैपटॉप पर होगी। इस प्रयोजन के लिए नियम–4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक् रूप से तैयार की जायेगी। |
| (4)(क) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन मूल्याँकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारिणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात चयन समिति नियम–4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी, जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जाये। किसी पद पर जिसके लिए टंकण या | (4)(क) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन मूल्याँकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारिणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात चयन समिति नियम–4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार लेगी। ऐसे पद जिनके लिये टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित नहीं है, साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की |

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपनियम (3) के खण्ड (घ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। | संख्या का चार गुना होगी। वे पद जिनके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित है, ऐसे सभी अभ्यर्थी, जो उपनियम (3) के खण्ड (घ) के अधीन, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे। |
| (ख) साक्षात्कार पचास अंकों का होगा। साक्षात्कार में निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :–<br>(एक) विषय/सामान्य ज्ञान 10 अंकों तक<br>(दो) व्यक्तित्व निर्धारण 20 अंकों तक<br>(तीन) अभिव्यक्ति क्षमता 20 अंकों तक | (ख) साक्षात्कार **पच्चीस अंकों** का होगा। साक्षात्कार में चयन समिति के अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक अंक प्रदान किये जायेंगे। किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंकों का अवधारण, चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक–पृथक रूप से उसको प्रदान किये गये अंकों के औसत की गणना करके किया जायेगा। |
| (ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को साक्षात्कार के समय उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में किसी भी दशा में कोई सूचना नहीं दी जायेगी। | (ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को साक्षात्कार के समय उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में किसी भी दशा में कोई सूचना नहीं दी जायेगी। |
| (5) उपनियम (4) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम (3) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। | (5) उपनियम (4) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम (3) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा बराबर–बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। |
| (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी। | (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जायेगी। |

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 20/IV-2002-Ka-2-2014, dated January 29, 2014:

No. 20/IV-2002-Ka-2-2014

*Dated Lucknow, January* 29, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002.

## THE UTTAR PRADESH PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT FOR GROUP 'C' POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION) (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2014

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) (Fourth Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 5

2. In the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002, *for* existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely :-

| | COLUMN-1<br>*Existing rule* | | COLUMN-2<br>*Rule as hereby substituted* |
|---|---|---|---|
| **Procedure for direct recruitment** | 5.(1) For making direct recruitment to the posts other than the posts reserved for persons belonging to the category of Physically Handicapped, the vacancies shall be notified by the appointing authority and for making direct recruitment to other posts reserved for the persons belonging to the category of Physically Handicapped, the vacancies shall be notified by the Head of the Department of the concerned department for which recruitment is to be made. The vacancies shall be notified in the following manner :-<br>(i) by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation;<br>(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Television and other Employment newspapers; and | **Procedure for direct recruitment** | 5.(1) For making direct recruitment to the posts other than the posts reserved for persons belonging to the category of Physically Handicapped, the vacancies shall be notified by the appointing authority and for making direct recruitment to the posts reserved for the persons belonging to the category of Physically Handicapped, the vacancies shall be notified by the Head of the Department of the concerned department for which recruitment is to be made. The vacancies shall be notified in the following manner :-<br>(i) by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation;<br>(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Television and other Employment newspapers; and |

COLUMN-1

*Existing rule*

(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

(2) Application for being considered for selection shall be called in the form published in the advertisement issued under sub-rule (1).

(3) The selection shall carry one hundred marks. The merit list of the candidates shall be prepared in the following manner :-

(a)(1) Such posts for which only academic qualifications are prescribed, the marks shall be awarded to each candidate in the following manner :-

| Academic qualification | Percentage of marks secured | Marks to be awarded |
|---|---|---|
| (i) Intermediate | Sixty per cent and above | Twenty marks |
| | Forty five per cent or above but less than sixty per cent | Fifteen marks |
| | Thirty three per cent or above but less than forty five per cent | Ten marks |
| (ii)Bachelor's degree | Sixty per cent and above | Ten marks |
| | Forty five per cent or above but less than sixty per cent | Eight marks |
| | Thirty three per cent or above but less than forty five per cent | Six marks |

COLUMN-2

*Rule as hereby substituted*

(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

(2) Applications for being considered for selection shall be called in the form published in the advertisement issued under sub-rule (1).

(3) The selection shall carry one hundred marks. The merit list of the candidates shall be prepared in the following manner :-

(a) There shall be an objective type written examination of forty marks to be conducted at State level, Head of the Department level and District level keeping in view the jurisdiction of the appointing authority :

Provided that the post for which some physical standards have been prescribed as essential qualification or as a mode of recruitment for the post, the candidate shall be required to undergo prescribed physical tests before the written examination and only those candidates shall be allowed to appear in the selection who come up to the minimum standards prescribed for the post.

(b)(i) Such posts for which only academic qualifications are prescribed, the marks shall be awarded to each candidate in the following manner :–

| Academic qualification | Percentage of marks secured | Marks to be awarded |
|---|---|---|
| (i) Intermediate | Sixty per cent and above | Twenty marks |
| | Forty five per cent or above but less than sixty per cent | Fifteen marks |
| | Thirty three per cent or above but less than forty five per cent | Ten marks |
| (ii) Bachelor's degree | Sixty per cent and above | Ten marks |
| | Forty five per cent or above but less than sixty per cent | Eight marks |
| | Thirty three per cent or above but less than forty five per cent | Five marks |

COLUMN-1

*Existing rule*

(2) Such posts for which academic qualifications and technical qualifications both are prescribed, the marks shall be awarded to each candidate in the following manner :–

| Academic qualification | Percentage of marks secured | Marks to be awarded |
|---|---|---|
| (i) Minimum academic qualification prescribed for the post | Sixty per cent and above | Ten marks |
| | Forty five per cent or above but less than sixty per cent | Eight marks |
| | Thirty three per cent or above but less than forty five per cent | Six marks |
| (ii) Minimum technical qualification prescribed for the post | Sixty per cent and above | Twenty marks |
| | Forty five per cent or above but less than sixty per cent | Fifteen marks |
| | Thirty three per cent or above but less than forty five per cent | Ten marks |

Provided that the post for which some physical standards have been prescribed as essential qualification or as mode of recruitment for the post , the candidates shall be required to undergo prescribed physical tests before the selection and only those candidates shall be considered for selection who came up to the minimum standards prescribed for the post.

(b) Marks to a retrenched employee shall be awarded in the following manner subject to the maximum of fifteen marks :–

(i) For the first completed year of service

--Five marks

COLUMN-2

*Rule as hereby substituted*

(ii) Such posts for which academic qualifications and technical qualifications both are prescribed, the marks shall be awarded to each candidate in the following manner :–

| Academic qualification | Percentage of marks secured | Marks to be awarded |
|---|---|---|
| (i) Minimum academic qualification prescribed for the post | Sixty per cent and above | Ten marks |
| | Forty five per cent or above but less than sixty per cent | Eight marks |
| | Thirty three per cent or above but less than forty five per cent | Six marks |
| (ii) Minimum technical qualification prescribed for the post | Sixty per cent and above | Twenty marks |
| | Forty five per cent or above but less than sixty per cent | Fifteen marks |
| | Thirty three per cent or above but less than forty five per cent | Ten marks |

| COLUMN-1<br>*Existing rule* | COLUMN-2<br>*Rule as hereby substituted* |
|---|---|
| (ii) For the next and every completed year of service<br>-- Five marks for each year | |
| (c) Marks to a sportsman shall be awarded in the following manner subject to the maximum of five marks :–<br>(i) If the candidate is a sportsman of International level<br>- Five marks<br>(ii) If the candidate is a sportsman of National level<br>-- Four marks<br>(iii) If the candidate is a sportsman of State level<br>-- Three marks<br>(iv) If the candidate is a sportsman of University/ College/School level<br>-- Two marks | (c) Marks to a sportsman shall be awarded in the following manner subject to the maximum of five marks :–<br>(i) If the candidate is a sportsman of International level<br>- Five marks<br>(ii) If the candidate is a sportsman of National level<br>-- Four marks<br>(iii) If the candidate is a sportsman of State level<br>-- Three marks<br>(iv) If the candidate is a sportsman of University/ College/School level<br>-- Two marks |
| (d) In the case of candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, there shall be a test of typewriting or shorthand and typewriting, as the case may be, of qualifying nature. Only those candidates who have attained the minimum speed prescribed for typewriting or shorthand and typewriting, as the case may be, shall be considered for selection. The number of candidates to be called for typewriting test or shorthand and typewriting test, as the case may be, shall be such as is considered appropriate by the Selection Committee. For this purpose the merit list of candidates shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule-4, be made separately on the basis of marks obtained by them under clauses (a), (b) and (c). | (d) In case of candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, there shall be a test of typewriting or shorthand and typewriting, as the case may be, of qualifying nature. Only those candidates who have attained the minimum speed prescribed for typewriting or shorthand and typewriting, as the case may be, shall be considered for selection. The number of candidates to be called for typewriting test or shorthand and typewriting test, as the case may be, shall be five times the number of vacancies. The typewriting test shall be held on computer/ laptop. For this purpose the merit list of candidates shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule 4, be made separately on the basis of marks obtained by them under clauses (a), (b) and (c). |
| (4) (a) After the results of the evaluations under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-rule (3) have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule-4, hold an interview. The number of candidates to be called for interview against the number of | (4) (a) After the results of the evaluations under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-rule (3) have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule 4, hold an interview. Such posts for which typewriting or shorthand and |

| COLUMN-1 | COLUMN-2 |
|---|---|
| *Existing rule* | *Rule as hereby substituted* |
| vacancies shall be such as is considered appropriate by the Selection Committee. In the case of candidates to be selected for a post for which typewriting or shorthand and type-writing has been prescribed as an essential qualification, only such candidates who qualify the typewriting test or shorthand and type-writing test, as the case may be, under clause (d) of sub-rule (3) shall be called for interview. | type-writing is not prescribed as an essential qualification, the number of candidates to be called for interview shall be four times the number of vacancies and the posts for which typewriting or shorthand and type-writing has been prescribed as an essential qualification, all such candidates who qualify the typewriting test or the shorthand and type-writing test, as the case may be, under clause (d) of sub-rule (3) shall be called for interview. |
| (b) The interview shall carry fifty marks. Marks at the interview shall be awarded in the following manner :–<br>(i) Subject/ General Knowledge --Up to ten marks<br>(ii)Personality Assessment --Up to twenty marks<br>(iii)Power of expression --Up to twenty marks | (b) The interview shall carry twenty five marks. Marks at the interview shall be awarded by the Chairman and all other Members of the Selection Committee separately. The total marks obtained by a candidate at the interview shall be determined by calculating the average of marks awarded to him by the Chairman and all the Members of the Selection Committee separately. |
| (c) The Chairman and Members of the Selection Committee shall, in no case, be provided any information with regard to marks obtained by candidates under clauses (a), (b) and (c) of sub-rule (3) at the time of interview. | (c) The Chairman and Members of the Selection Committee shall, in no case, be provided any information with regard to marks obtained by candidates under clauses (a), (b) and (c) of sub-rule (3) at the time of interview. |
| (5) The marks obtained by each candidate at the interview under sub-rule (4) shall be added to the marks obtained under sub-rule (3). The final select list shall be prepared on the basis of aggregate of marks so arrived. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. | (5) The marks obtained by each candidate at the interview under sub-rule (4) shall be added to the marks obtained under sub-rule (3). The final select list shall be prepared on the basis of aggregate of marks so arrived. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the select list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the candidate senior in age shall be placed higher in the select list. |
| (6) The select list referred to in sub-rule (5) shall be forwarded to the appointing authority. | (6) The select list referred to in sub-rule (5) shall be forwarded to the appointing authority. |

By order,
RAJIV KUMAR,
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 746 राजपत्र–(हिन्दी)–2014–(1609)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 20 सा० नियुक्ति–2014–(1610)–2000 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।